ग्राम पंचायत सिस्सु, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024

भाग-एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनाँक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत सिस्सु, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पीति के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" तक के लेखों का अंकेक्षण हि.प्र राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री राजीव	01-04-22 से 31-03-24

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री निर्मल चन्द	01-04-22 से 21-06-22
2.	श्री अशोक कुमार	22-06-22 से 31-03-24

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत सिस्सु के अवधि "01-04-2022 से 31-03-2024" के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि {₹ लाखों में}
1.	4.1	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में लाख का अन्तर पाया	0.65
2.	5	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	22.00
3.	6	प्रियासॉफ्ट में संधारित लेखों तथा हस्तलिखित लेखों के आंकड़ों में अंतर पाया जाना	0.04
4.	7(क)	पंचायत राजस्व राशि लाख की वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.61
5.	8	मानदेय के रूप में पंचायत सदस्यों को अधिक भुगतान करने बारे	0.02
6.	11(क)	आपूर्तिकर्ता/सप्लायर बिल से रॉयल्टी की कटौती न करने के अधिक भुगतान करना	0.14
7.	11(ख)	संविदाकार/आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर जी0 एस0 टी0 टी0 डी0 एस0 की कटौती न करने के कारण अधिक भुगतान करने बारे	0.06
8.	12(क)	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक स्टोर का क्रय करना	09.08

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत सिस्सु, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पीति के अवधि "01/04/2022 से 31/03 /2024" तक के लेखों का वर्तमान व प्रथम अंकेक्षण श्री अजय कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक व श्री दलजीत कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनाँक 03-06-2024 से दिनांक 06-06-2024 के दौरान पंचायत कार्यालय, सिस्सु में किया गया। लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	08/22	10/22
2023-24	05/23	09/23

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के सचिव/प्रधान द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत सिस्सु, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पीति के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर **₹6400**/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: दिनांक द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सिस्सु से अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत सिस्सु द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

(क) स्वः स्त्रोत:- ग्राम पंचायत सिस्सु के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" तक स्वः स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	1567347.19	68898	1636245.19	260220.50	1376024.69
2023-24	1376024.69	41447	1417471.69	99128	1318343.69

{ख} अनुदान:- ग्राम पंचायत सिस्सु के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण सलग्न **परिशिष्ट -1** में दिया गया है:-

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	2519094.80	11006843	13525937.80	9138831	4387106.80
2023-24	4387106.80	4420239	8807345.80	6590477	2216868.80

{ग} दिनाकं 31.03.24 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम संख्या	शीर्ष	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1.	General/5TH FC	KCCB SISSU	20007336547	1341157
2.	VKVNY/VMJS/SDRF/ 4515	SBI KEYLONG	11390273196	440460.09
3.	GENERAL	KCCB SISSU	20163113168	123499
4.	15 TH FC	CENTRAL BANK OF INDIA KEYLONG	3780251498	1358199
5.	14^{TH} FC	CENTRAL BANK OF INDIA KEYLONG	50065114148	132.80
6.	2515	KCCB SISSU	50066780774	331994
7.	MPLAD	KCCB SISSU	50066780560	4017
8.	हस्तगत रोकड़			200
कुल योग				**3599658.89**

बैंक समाधान विवरणी:-

दिनांक 31-03-24 को बैंक अनुसार अन्त शेष	3599658.89
दिनांक 31-03-24 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्त शेष (क+ख) 1318343.69 + 1216868.80=3535212.49	3535212.49
अंतर	**64446.40**

(घ) एमजी मनरेगा

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	ब्याज (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2020-21	0	1726548	0	1726548	1726548	0
2021-22	0	670990	0	670990	670990	0

4.1 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में ₹0.65 लाख का अन्तर पाया जाना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत की रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31-03-24 को **₹64446.40** की राशि का अन्तर पाया गया । पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 317 दिनांक 03.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सिस्सु के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर संख्या 03 दिनांक 06.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सूचित किया गया कि आपके द्वारा जारी अधियाचना के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बही व बैंक खातों में अंतर दर्शाया गया है, जिसे अब अन्तर का पता लगाकर व दुरुस्त करके लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाएगा।

अत: इस अनियमितता के बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों को बैंक शेषों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.2 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified Abstract) को न तैयार करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुये एक आय तथा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग-अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय-व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय-व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

5. अनुदान राशि ₹22.00 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है|

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सुचना **"परिशिष्ट-1"** के अनुसार दिनांक 31-03-24 तक अनुदान राशि ₹22,16,868.80 लाख उपयोग हेतु शेष थी| जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्ष के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है|

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 319 दिनांक 03.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सिस्सु के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर संख्या 03 दिनांक 06.06.2023 को सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा ।

अत: जिन अनुदानों की विहित अवधि समाप्ति हो चुकी है उनके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके, उक्त राशि को निर्धारित उद्देश्यों हेतू व्यय करना सुनिश्चित किया जाये|

6. प्रियासॉफ्ट में संधारित लेखों तथा हस्तलिखित लेखों के आंकड़ों में ₹0.04 लाख अंतर पाया जाना :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में E- Panchayat Mission Project (MPP) प्रारम्भ की गई है जिसका क्रियान्वन पंचायती राज विभाग हि. प्र. कर रहा है | इस योजना के क्रियान्वयन के साथ – साथ हि. प्र. पंचायती राज (समान्य) नियम 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज रहित प्रणाली के अंतर्गत e-panchayat में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है |

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण हस्तलिखित तथा प्रिया सॉफ्ट (computerised) दोनों माध्यम से किया जा रहा तथा जो लेखे Priya Soft में बनाये जा रहें है वे बैंक खातों/हस्तलिखित रोकड़ बही खातों से मिलान नही खाते | परिणामस्वरूप ₹3395.80 का अंतर पाया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

(क) प्रियासॉफ्ट में दर्ज वार्षिक प्राप्ति /व्यय व हस्तलिखित रोकड़ बही के अनुसार वार्षिक प्राप्ति /व्यय में अंतर (Except MNREGA)

क्रम स.	वर्ष	प्राप्ति			भुगतान		
		प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर
1	22-23	11219891.50	9349193	1870698.50	8913420.20	7672503.50	1240916.7[illegible]
2	23-24	3298388	3790696	492308	5329125	6018615	689490

(ख) प्रियासॉफ्ट रोकड़ बही में दर्शाए गए बैंक शेष तथा बैंक पास बुक शेष में अंतर पाया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:- (Except MNREGA)

वर्ष	प्रियासॉफ्ट के अनुसार बैंक शेष	बैंक पासबुक के अनुसार शेष + (CASH IN HAND)	अंतर
2023-24	3596263.09	3599658.89	3395.80

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 318 दिनांक 03.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सिस्सु के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर संख्या 03 दिनांक 06.06.2024 को सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7. पंचायत राजस्व राशि ₹0.61 लाख की वसूली हेतु शेष पाया जाना

(क) गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण ₹0.61 लाख का पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष पाया जाना :

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 34(2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अपने अधीनस्थ सभी स्त्रोतों जहां से राजस्व उत्पन्न होता है, इतनी रकम का, जितनी बैंक, खजाना या अन्य लेखा-जोखा दिया है के लिए उधार दावा करते हुए, मासिक लेखे और विवरणी, अभिप्राप्त करने की व्यवस्था करेगा और उन्हें प्रारूप 10 में मांग रजिस्टर में नोट करवाएगा।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख अर्थात गृह कर के मांग व संग्रहण रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया था। पंचायत द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹100 प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था प्राप्त सुचना के अनुसार ₹61885 की वसूली 31.03.24 को शेष थी, जिसका विवरण परिशिष्ट "ख" व नीचे तालिका में दिया गया है:-

वर्ष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	दर	आ. शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2022-23	175	50	44135	8750	52885	0	52885
2023-24	180	50	52885	9000	61885	0	61885

(ख) विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.02 लाख की वसूली न करना

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 के पत्र संख्याः PCH-HA(1)8/2013-Marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.16 व सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनाँक 4.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में 200 प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए 400 अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है परन्तु ग्राम पंचायत सिस्सु द्वारा अवधि 01.04.22 से 31.03.2024 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निम्न विवरणानुसार **₹1200** की वसूली नहीं की गई थी। जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	रजिस्टर पृष्ठ संख्या	रसीद संख्या	आवेदनकर्ता का नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	भुगतान योग्य राशि (₹)	प्राप्त राशि (₹)	अन्तर की राशि (₹)
1	nill	nill	अंजना सुपुत्री श्री प्रेम सिंह	13.07.2022	15.07.2022	200	0	200
2	nill	nill	विजय सुपुत्र श्री प्रेम सिंह	20.06.2022	15.07.2022	200	0	200
3	nill	nill	विकास सुपुत्र श्री धरम सिंह	25.08.2022	08.09.2022	200	0	200
4	nill	nill	राहुल बोध सुपुत्र श्री कमल सिंह	26.11.2022	06.12.2022	200	0	200
5	nill	nill	सौरभ आनंद सुपुत्र श्री अमर सिंह	05.11.2023	15.11.2023	200	0	200
6	nill	nill	आशीष कुमार कपूर गाँव गोम्पाथाँग डाकघर सिस्सु	06.12.2023	22.12.2023	200	0	200
								1200

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 321 दिनांक 04.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सिस्सु के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर संख्या 03 दिनांक 06.06.2024 को सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण

फीस की कम वसूली राशि को वसूल करके पंचायत निधि में जमा करवा दिया जाएगा, जिससे अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा ।

अत : परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए पंचायत निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

8. ₹1500 का मानदेय के रूप में पंचायत सदस्यों को अधिक भुगतान करने बारे

हि० प्र० पंचायती राज {वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 62{2} के अर्न्तगत ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को ग्राम पंचायत की सभा में उपस्थिति के अनुरूप मानदेय का भुगतान किया जाएगा तथा यदि कोई सदस्य सभा में उपस्थित नहीं होता है तो इस सभा के लिए मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा ।

अंकेक्षण अवधि के दौरान सामान्य रोकड़ बही के वॉउचर संख्या 45 दिनांक 15.07.2022 की जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा पंचायत पदाधिकारियों को मानदेय का भुगतान 18.10.2021 से 31.03.2022 की अवधि के लिए किया गया था परन्तु इस भुगतान किये गये मानदेय की अवधि के दौरान माह जुलाई 2022 में केवल एक ही ग्राम पंचायत की वैठक हुई थी जिसके परिणामस्वरूप पंचायत पदाधिकारियों को एक ग्राम पंचायत वैठक का मानदेय के रूप में अधिक भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.संख्या	पदाधिकारी का नाम	वॉउचर संख्या	मानदेय अवधि	भुगतान राशि	नियमानुसार भुगतान योग्य राशि	अंतर	विवरण
1	अंजु देवी	वॉउचर संख्या 45 दिनांक 06/10/2022	01.05.2022 से 30.09.2022 तक	3000	2700	300	बैठक कोरम न होने के कारण 24.07.2022 को मासिक बैठक का न होना
2	निर्मला देवी	वॉउचर संख्या 45 दिनांक 06/10/2023	01.05.2022 से 30.09.2022 तक	3000	2700	300	बैठक कोरम न होने के कारण 24.07.2022 को मासिक बैठक का न होना

3	राजन चंद	वॉउचर संख्या 45 दिनांक 06/10/2024	01.05.2022 से 30.09.2022 तक	3000	2700	300	बैठक कोरम न होने के कारण 24.07.2022 को मासिक बैठक का न होना
4	निर्मला देवी	वॉउचर संख्या 45 दिनांक 06/10/2025	01.05.2022 से 30.09.2022 तक	3000	2700	300	बैठक कोरम न होने के कारण 24.07.2022 को मासिक बैठक का न होना
5	सुशांत	वॉउचर संख्या 45 दिनांक 06/10/2026	01.05.2022 से 30.09.2022 तक	3000	2700	300	बैठक कोरम न होने के कारण 24.07.2022 को मासिक बैठक का न होना
	कुल योग					**1500**	

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 322 दिनांक 04.06.24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सिस्सु के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर संख्या 03 दिनांक 06.06.2024 को सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि आपके द्वारा जारी अधियाचना संख्या के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत पदाधिकारियों को मासिक बैठक की अधिक अदायगी की गयी थी जिसे अब वसूल करके पंचायत निधि में जमा करवा दिया जाएगा व लेखा परीक्षा से अवगत करवाया जाएगा। अतः वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

9. दोहरी उपस्थिति के कारण अनियमित भुगतान करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान मनरेगा के मस्ट्रोल में उपस्थित पंचायत सदस्यों की उपस्थिति की जाँच पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर के साथ करने पर पाया गया कि पंचायत सदस्यों की उपस्थिति सामान दिन में मनरेगा मस्ट्रोल व पंचायत बैठक दोनों में दर्ज की गयी है जो कि अनियमित है | उपरोक्त अनियमिता का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम	मस्ट्रोल संख्या/अवधि	निर्माण कार्य का नाम	मस्ट्रोल में उपस्थिति की तिथि	पंचायत बैठक में उपस्थिति की तिथि	मानदेय के रूप में भुगतान की गई राशि	मनरेगा की मजदूरी दर के रूप में भुगतान की गई राशि
1.		.....750... 06.09.2023 से 19.09.2023	c/o pagdandi rasta yangpedang village Gampathng GP Sissu	17.09.23	17.09.23	500	294

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 327 दिनांक 05.06.24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सिस्सु के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर संख्या 03 दिनांक 06.06.2024 को सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वार्ड सदस्यों को दोहरा भुगतान किया गया था जिसे वसूल कर पंचायत निधि में जमा करवा दिया जाएगा व लेखा परीक्षा से अवगत करवाया जाएगा ।

अतः उपरोक्त अनियमित भुगतान की वसूली वस्तुस्थिति अनुसार यथोचित दर से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10. (क) राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज न करना।

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम० पी०) प्रारम्भ की गयी थी । इस योजना के अन्तर विभिन्न एप्लिकेशन है जिनमे पंचायत की दैनिक कार्यवाही जिसे की पंचायत द्वारा की गयी सेवाओं/सामान की खरीद/भुगतान एवं पंचायत सम्पति इत्यादि का इंद्राज करना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत सिस्सु, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पीति (हि०प्र०) के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज नहीं किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में स्थायी संपत्तियों में केवल अल्मीरा ही दर्ज किया गया था। इसी प्रकार पंचायत द्वारा किये गए समस्त कार्यों को

इसमे दर्ज नहीं किया गया था तथा पंचायत द्वारा केवल 11 कार्यो को ही दर्ज किया गया था उनकी भी लागत मूल्य एवं निर्माण अथवा प्राप्ति की तारीख दर्ज नहीं थी। ग्राम पंचायत ने लेखा परीक्षा की तिथि तक (03/2024) बहुत से कार्यों को पूर्ण किया था तथा पंचायत के पास अपना पंचायत घर है परन्तु पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियों को राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में दर्ज नहीं किया था।

पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियों को वास्तविक मूल्य पर ही पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम०पी०) द्वारा आरम्भ की गयी इस योजना के अन्तर्गत दी गई एप्लीकेशन में दर्ज किया जाना अनिवार्य था। अतः यह स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा इस एप्लीकेशन के अंतर्गत कार्य को सही ढंग से नहीं किया जा रहा। पंचायत द्वारा उपरोक्त एप्लीकेशन में सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियों को दर्ज न करना भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय की ओर से जारी किये गए निर्देशों का उलंघन ही नहीं बल्कि पंचायत सचिव की लापरवाही भी है जोकि गंभीर अनियमितता है।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या % 323 दिनांक 04.06.24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सिस्सु के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर संख्या 03 दिनांक 06.06.2024 को सचिव द्वारा सूचित किया गया ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय संपत्ति निर्देशिका में पंचायत द्वारा सभी चल/अचल सम्पत्तियों को दर्ज नही किया जा रहा था जिसे अब आपके दिशा-निर्देश के तहत पंचायत की सभी चल/अचल संपत्तियों को दर्ज करवा कर अंकेक्षण से अवगत करवा दिया जाएगा।

(ख) पंचायत द्वारा शेल्फ में अनुमोदित कार्यों का कार्यान्विन न करना तथा जॉब कार्ड धारकों को हकदारी के अनुसार रोजगार प्रदान न करना

मनरेगा अधिनियम 2005 के पैरा 3.2(iii) के अनुसार प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की कार्य संबंधी हकदारी का वितरण एक ही परिवार के अलग-अलग व्यस्क सदस्यों में किया जा सकता है। प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की कार्य संबंधी हकदारी को सरकार की अधिसूचना द्वारा वर्ष 2017-18 से 120 दिन कर दिया गया है। उक्त अधिनियम के पैरा 6.4 के अंतर्गत लेबर बजट के लिए परियोजनाओ की शेल्फ तैयार की जाएगी तथा ग्राम सभा द्वारा वार्षिक योजना तथा श्रम बजट का अनुमोदन किया जाएगा। ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित

परियोजनाओ की शेल्फ को पंचायत समिति एवं जिला पंचायत अधिकारी के माध्यम से करवाया जायेगा। अतः अनुमोदित परियोजनाओ का कार्यान्वन मनरेगा के तहद उपलब्ध जॉब कार्ड धारको द्वारा ही करवाया जायेगा। अभिलेखों की नमूना जाँच व ग्राम पंचायत सिस्सु, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पीति (हि०प्र०) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना में पाया गया की ग्राम पंचायत में वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान जॉब कार्ड धारकों को सरकार द्वारा निर्धारित रोजगार दिवसों की संख्या से कम रोजगार दिवस उपलब्ध करवाए गए थे। उपरोक्त अवधि के दौरान जॉब कार्ड धारकों को उपलब्ध करवाए गए रोजागर दिवसों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

वर्ष	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत अनुमोदित कार्य	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत किये गए कार्य	शेल्फ तथा किये गए कार्यों के बीच अंतर	जॉब कार्ड धारकों की संख्या (HH)	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्होंने रोजागर माँगा (HH)	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्हें रोजागर प्रदान किया गया (HH)	वर्ष के दौरान प्रदान किये गए मेंडेस	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्हें 100/120 दिनों का रोजागर प्रदान किया गया	वर्ष से दौरान रोजगार प्रदान किये जाने में कमी
2022-23	32	13	19	135	107	107	6378	16	5278
2023-24	43	5	38	135	66	66	2447	0	1347

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान सभी जॉब कार्ड धारकों को रोजगार प्रदान नहीं किया गया था जिससे यह प्रतीत हुआ कि पंचायत द्वारा जॉब कार्ड पात्रता के आधार पर नहीं बनाये गए थे जिसकी पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी थी। इसके अतिरिक्त जिन जॉब कार्ड धारकों को रोजगार प्रदान किया गया था उन्हें प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100/120 दिनों की कार्य दिवस हकदारी के अनुसार वितरित नहीं किया गया था जबकि ग्राम पंचायत ने उपरोक्त वर्षों में पर्याप्त कार्यों को मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत अनुमोदित करवाया था जिनमे से केवल आंशिक कार्य ही पुरे किये गए थे।

अनुमोदित कार्यों में से किये गए/कार्यान्वित कार्यों की दर बहुत ही कम थी जिससे यह प्रतीत हुआ की पंचायत द्वारा शेल्फ में कार्यों को या तो काल्पनिक आधार पर अनुमोदित किया गया था या पंचायत अनुमोदित कार्यों के कार्यान्वन के प्रति गंभीर नहीं थे जो की नियमो की अवहेलना ही नहीं वल्कि लापरवाही को भी दर्शाता है।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 328 दिनांक 05.06.24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सिस्सु के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर संख्या 03 दिनांक 06.06.2024 को सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि आपके द्वारा जारी अधियाचना के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा शेल्फ में अनुमोदित कार्यों का कार्यान्वियन न करना तथा जॉब कार्ड धारकों को हकदारी के अनुसार रोजगार प्रदान नहीं किया गया था, जिसे अब भविष्य में जॉब कार्ड धारको को रोजगार प्रति वर्ष प्रति परिवार 100 दिनों के कार्यदिवस हकदारी के अनुसार दिया जायेगा तथा शेल्फ में अनुमोदित सभी कार्य क्रियान्वित किये जाएँगे। तथा भविष्य में जॉब कार्ड पात्रता के आधार पर बनाए जायेंगे जिसकी अनुपालना करके लेखा परीक्षा से अवगत करवा दिया जाएगा।

11. (क) आपूर्तिकर्ता/सप्लायर बिल से रॉयल्टी की कटौती न करने के कारण ₹ 09.08 लाख का अधिक भुगतान करना

हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्री विभाग की अधिसूचना संख्याः Ind-II(f)/6-14/2014-Vol-I दिनांक 10.02.2022 के अनुसार खनन सामग्री रैसे रेत/बजरी/पत्थर इत्यादि पर सरकार को रॉयल्टी का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। विकास/निर्माण कार्य पर उपयोग की जाने वाली सामग्री (रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि) के लिए सप्लायर/आपूर्तिकर्ता माईनिंग अधिकारी से अनिवार्य रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा यदि वह प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करता है तो ग्राम पंचायत द्वारा बिल की अदायगी करते समय रॉयल्टी की कटौती करके राशि को राजकीय कोष के शीर्ष 0853-102-01-05 में जमा किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्य बिलों की जाँच में पाया गया गया कि कार्य स्थलों पर रेत बजरी, पत्थर का उपयोग किया गया था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा सप्लायर के बिल से न तो रायल्टी की कटौती की गई थी और न ही अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था जिस कारण निम्न विवरणानुसार आपूर्तिकर्ता

व्यक्ति/संविदाकार को ₹ 14005.39 का अधिक भुगतान किया गया था । जिसका विवरण परिशिष्ट "**(ङ)** " व नीचे तालिका में दिया गया है :-

क्र0 सं0	**आपूर्तिकर्ता**	**वॉउचर संख्या /दिनांक**	**मद का नाम**	**भुगतान राशि**	**मात्रा CUM**	**निर्धारित फैक्टर**	**मात्रा प्रति मीट्रिक टन**	**रॉयल्टी प्रति मीट्रिक टन**	**दर**	**राशि**
1	हेमराज	SBM	वॉउचर संख्या 31 दिनांक 01.10.2022	रेत	7310	7.31	1.62	11.84	80	947.38
2	हेमराज	SBM	वॉउचर संख्या 31 दिनांक 01.10.2022	बजरी	3880	1.94	1.52	2.95	80	235.90
3	हेमराज	SBM	वॉउचर संख्या 32 दिनांक 01.10.2022	रेत	7310	7.31	1.62	11.84	80	947.38
4	हेमराज	SBM	वॉउचर संख्या 32 दिनांक 01.10.2022	बजरी	3880	1.94	1.52	2.95	80	235.90
5	हेमराज	SBM	वॉउचर संख्या 33 दिनांक 01.10.2022	रेत	3750	2.50	1.62	4.05	80	324.00
6	हेमराज	SBM	वॉउचर संख्या 33 दिनांक 01.10.2022	बजरी	2170	0.62	1.52	0.94	80	75.39
7	हेमराज	SBM	वॉउचर संख्या 33 दिनांक 01.10.2022	पत्थर	9540	7.95	2.24	17.81	80	1424.64
8	दर्ज नहीं	4515	वॉउचर संख्या 48 दिनांक	रेत	39710	18.05	1.62	29.24	80	2339.28
9	दर्ज नहीं	4515	वॉउचर संख्या 48 दिनांक	बजरी	15715	4.49	1.52	6.82	80	545.98
10	राजू	vkvny	वॉउचर संख्या 56 दिनांक 25.10.22	रेत	3560	1.75	1.62	2.84	80	226.80
11	राजू	vkvny	वॉउचर संख्या 56 दिनांक	बजरी	3344	1.07	1.52	1.63	80	130.11

			25.10.22							
12	दावा	15वां वित्त आयोग	वॉउचर संख्या p48 दिनांक 04.09.2023	रेत	4160	2.60	1.62	4.21	80	336.96
13	दावा	15वां वित्त आयोग	वॉउचर संख्या पी/57 दिनांक 04.09.2023	रेत	11600	7.25	1.62	11.75	80	939.60
14	दावा	15वां वित्त आयोग	वॉउचर संख्या पी/57 दिनांक 04.09.2023	बजरी	41160	13.72	1.52	20.85	80	1668.35
15	दावा	15वां वित्त आयोग	वॉउचर संख्या पी/63 दिनांक 27.09.2023	रेत	5760	3.60	1.62	5.83	80	466.56
16	दावा	15वां वित्त आयोग	वॉउचर संख्या पी/63 दिनांक 27.09.2023	बजरी	20490	6.83	1.52	10.38	80	830.53
17	दावा	15वां वित्त आयोग	वॉउचर संख्या पी/69 दिनांक 27.09.2023	रेत	10368	6.48	1.62	10.50	80	839.81
18	दावा	15वां वित्त आयोग	वॉउचर संख्या पी/69 दिनांक 27.09.2023	बजरी	36780	12.26	1.52	18.64	80	1490.82
										14005.39

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 330(ii) दिनांक 06.06.24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सिस्सु के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर संख्या 03 दिनांक 06.06.2024 को सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि आपके द्वारा जारी अधियाचना के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा रॉयल्टी वसूल नही की जा रही है और न ही x form लिए जा रहे है, जिसे अब नियमानुसार लिया जाएगा व रॉयल्टी को वसूल करके संबन्धित विभाग में जमा करवाया जाएगा व लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाएगा ।

अतः परामर्श दिया जाता है कि रॉयल्टी की कम वसूली गयी राशि को उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख) संविदाकार/आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर जी0 एस0 टी0 टी0 डी0 एस0 की कटौती न करने के कारण ₹ 0.06 लाख का अधिक भुगतान करने बारे ।

हिमाचल प्रदेश जी0 एस0 टी0 अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि0प्र0 आवकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part-(278/25)-2950 दिनांक 28-09-2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति /फ़र्म /संस्था /स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (person/HUF/Firm/Local authority /govt. deductor) द्वारा संविदाकार संविदाकार व्यक्ति ,फ़र्म को सेवाएँ तथा वस्तुएँ प्रदान करने के बदले एक वित्तीय बर्ष में ₹ 250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1 %सी0जी0एस0टी0 +1% एस0जी0एस0टी0 –अंतर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2%आई0जी0 एस0 टी0 –अंतरराजीय आपूर्ति)की दर से जी0 एस0 टी0 टी0 डी0 एस0की कटौती संबन्धित व्यक्ति/फ़र्म/संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले संबन्धित विभाग में जमा करवानी अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार संविदाकार/आपूर्तिकर्ता से भुगतान बिलों पर उपरोक्त अधिनियम के अनुसार स्त्रोत पर जी0 एस0 टी0 टी0 डी0 एस0 की कटौती नहीं की गयी थी जिसका विवरण निम्नानुसार है :

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	वॉउचर संख्या / दिनांक	बिल संख्या / दिनांक	मद का नाम	कार्य का नाम	शीर्ष	भुगतान राशि	कटौती की दर	राशि (₹)
1	युनीक सोल्यूसन नया इंडस्ट्रियल एरिया मंडी	वॉउचर संख्या 4 दिनांक 21.09.2023	55/11.08.2023	मोबाइल टॉइलेट	mobile tower near sissu nursury & near sissu helipad	VKVNY	292373	2.00%	**5847**
							292373		**5847**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 330(i) दिनांक 06.06.24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सिस्सु के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर संख्या 03 दिनांक 06.06.2024 को सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि

कि जीएसटी टीडीएस के रूप में कटौती न करने के कारण ठेकेदार को किए गए अधिक भुगतान की राशि को वसूल करके संबधित सरकारी विभाग में जमा करवा दिया जाएगा तथा अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

12. (क) औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹09.08 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं । परन्तु अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि अनुसार पंचायत द्वारा बर्ष 2022-23 व 2023-24 में ₹900804/- की निर्माण से सम्बन्धित सामग्री का क्रय नियमानुसार निविदा/कोटेशन सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि गम्भीर अनियमितता है जिसके अभाव में यह ज्ञात करना संभव नहीं है कि उक्त वर्ष में विभिन्न सामग्री की क्रय दर कितनी थी तथा जिस मूल्य पर खरीद की गयी थी उसके संबंध में उचित अभिलेख न होने के कारण निम्न विवरणानुसार क्रय की गयी सामग्री पर किए गए व्यय को उचित नहीं ठहराया जा सकता है जोकि पंचायत निधि के धन के दुरुपयोग को भी दर्शाता है । जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	बिल संख्या/ दिनांक	वॉउचर संख्या	शीर्ष	आपूर्तिकर्ता	मद का नाम	भुगतान राशि (₹)
1	0627/ 31.08.2022	XVFC/2022-23/P/3 dated 12.10.22	15वां वित्त आयोग	सलसर टाइल्स & ग्रेनाइट मनाली रोड़ मारुति सुज़ुकी सर्विस स्टेशन पतलीकुल	सैंड स्टोन	45500
2	520/ 15.07.2022	FFC/2022-23/P/5 dated 16.10.22	14वां वित्त आयोग	एम/एस छेपहा सेल्स स्टोर iph कॉलोनी एनएच-03 केलांग	बिजली की तारें व स्क्रू	16587
3	1355/ 12.09.2022	वॉउचर संख्या 30 दिनांक 01.10.22	vkvny	एम/एस बोहरा ट्रेडर नजदीक प्रेसिडेंट होटल मनाली	पेंट	31280

- 43 -

4	002/ 07.08.2022	वॉउचर संख्या 36 दिनांक 04.10.22	एसबीएम	एम/एस सोनम & नवांग छेरींग हार्डवेर & सैनिटरि गूड्स गाँव व डाकघर अप्पर केलांग	टाइल्स व पाइप	21865
5	278/ 25.06.2022	वॉउचर संख्या 40 दिनांक 04.10.22	एसबीएम	एम/एस सोनम & नवांग छेरींग हार्डवेर & सैनिटरि गूड्स गाँव व डाकघर अप्पर केलांग	हार्डवेर आइटम	22257
6	849/ 25.08.2022	वॉउचर संख्या 42	एसबीएम	कोमल एंटरप्राइज़ केलांग	पाइप & जीआई शीट्स	52400
7	848/ 25.08.2022	वॉउचर संख्या 41	एसबीएम	कोमल एंटरप्राइज़ केलांग	पाइप & जीआई शीट्स	50500
8	0639/ 22.07.2022	वॉउचर संख्या 43	एसबीएम	वैष्णव ट्रेडिंग कंपनी गाँव व डाकघर गौशाल तांदी	टीएमटी सरिया	29450
9	135/25.09.2022	वॉउचर संख्या 53 दिनांक 25.10.22	DPO	कोमल एंटरप्राइज़ केलांग	दरवाजा व चौखट	12135
10	12208/ 12.09.2023	वॉउचर संख्या 1 दिनांक 21.09.2023	VKVNY	एम/एस नानक चंद & सन्स	सरिया व वाइर	132830
11	HIM2324431/21.09.23	वॉउचर संख्या 02 दिनांक 21.09.2023	VKVNY	एम/एस हिम इको ब्रिक	ईंट	22000
12	HIM2324430/21.09.23	वॉउचर संख्या 02 दिनांक 21.09.2023	VKVNY	एम/एस हिम इको ब्रिक	ईंट	22000
13	HIM2324432/21.09.23	वॉउचर संख्या 02 दिनांक 21.09.2023	VKVNY	एम/एस हिम इको ब्रिक	ईंट	22000
14	55/11.08.23	वॉउचर संख्या 04 दिनांक 21.09.2023	VKVNY	युनीक सोल्यूसन नया इंडस्ट्रियल एरिया मंडी	मोबाइल टॉइलेट	345000

15	1322/ 30.08.23	वॉउचर संख्या 27 दिनांक 05.09.2023	VKVNY	कोमल एंटरप्राइज़ केलांग	बर्तन	25000
16	1315/ 30.08.23	वॉउचर संख्या 28 दिनांक 05.09.2023	VKVNY	कोमल एंटरप्राइज़ केलांग	बर्तन	25000
17	1317/ 30.08.23	वॉउचर संख्या 29 दिनांक 05.09.2023	VKVNY	कोमल एंटरप्राइज़ केलांग	बर्तन	25000
						900804

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 330 दिनांक 06.06.24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सिस्सु के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर संख्या 03 दिनांक 06.06.2024 को सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि आपके द्वारा जारी अधियाचना के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निविदा आमंत्रित किये बिना सामान की अनियमित खरीद की गयी थी, जो नियमानुसार सही प्रतीत नही होता, जिसे अब आपके दिशा निर्देशों के तहत भविष्य में समान को निविदा आमंत्रित करते हुए नियमानुसार खरीद की जाएगी व अनुपालना करके लेखा परीक्षा से अवगत करवा दिया जाएगा उत्तर संतोषजनक नही था।

अतः परामर्श दिया जाता है कि वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्ष 2022-23 व 2023-24 में किए गए व्यय की उचित कार्यवाही करके जांच की जाए तथा इसे उचित सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए व भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए वस्तुओं/सामग्री का क्रय करना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) भुगतान किये गए बिलों पर नियमानुसार अदायगी आदेश अंकित न करना व मस्ट्रोलों द्वारा भुगतान को अधिप्रमाणित नहीं करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान, और भत्ते) नियम, 2002 के नियम 49(1) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किसी वॉउचर के लिए नगद या चैक द्वारा कोई भी संदाय तब तक नहीं किया जायेगा जब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि यह, यथास्थिति ग्राम पंचायत प्रधान और संबद्ध पंचायत सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय

रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्ततः हस्ताक्षरित या अद्याक्षारित अदायगी धारित नही करता।

ग्राम पंचायत सिस्सु, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पीति की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया की लेखा परीक्षा अवधि के दौरान पंचायत द्वारा किये गए भुगतानों से सम्बंधित वाउचरो/ बिलो को ग्राम पंचायत प्रधान और संबद्ध पंचायत सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्ततः हस्ताक्षरित या अद्याक्षारित अदायगी धारित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त मस्टरोल के तहद की गई आदायगी को तकनिकी सहायक, निर्माण समिति तथा सम्बंधित वार्ड पंच द्वारा भी अधिप्रमाणित नहीं किया गया था। नियमानुसार अदायगी आदेश धारित न करने तथा मस्टरोलों को तकनिकी सहायक, निर्माण समिति तथा सम्बंधित वार्ड पंच द्वारा अधिप्रमाणित नहीं करने के अभाव में किये गए भुगतान अनियमित थे तथा इनकी प्रमाणिकता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता तथा यह उपरोक्त नियमों के विरूद्ध था। अतः संयुक्ततः हस्ताक्षरित या अद्याक्षारित अदायगी नियमानुसार धारित न करना और मस्टरोलों को अधिप्रमाणित नहीं करना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान, और भत्ते) नियम, 2002 के नियम के नियमो की स्पष्ट अवहेलना है।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या:324 दिनांक 04.06.24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सिस्सु के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर संख्या 03 दिनांक 06.06.2024 को सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि आपके द्वारा जारी अधियाचना संख्या के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किये गए बिल्स पर नियमानुसार अदायगी आदेश अंकित नहीं किए गए थे व मस्ट्रोलों द्वारा भुगतान को अधिप्रमाणित नहीं किया गया था । जिसे अब आपके दिशा निर्देशों के तहत भविष्य में नियमानुसार अदायगी आदेश को अंकित करके व मस्ट्रोलों की भुगतान राशि को अधिप्रमाणित करके अनुपालना करके लेखा परीक्षा से अवगत करवा दिया जाएगा|

(ग) निर्माण कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिका को अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत न करने बारे।

ग्राम पंचायत सिस्सु के अवधि 01-04-22 से 31-03-2024 तक के अंकेक्षण के दौरान चयनित माहों के व्यय वॉउचरों की जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों से चयनित माह में हुए निर्माण कार्यों हेतु भुगतान किया गया था। जिसका मूल्यांकन माप पुस्तिका

में किया जाना अपेक्षित था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण में निम्न कार्यों से संबन्धित माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई :-

क्र. संख्या	शीर्ष	कार्य का नाम	कुल राशि
1	2515	C/O community bhawan near chhokor gompa	545000
2	2515	Mobile toilet near sissu nursery helipad	345000
3	VKVNY	Repair of mahila mandal bhawan jagdang	250000
4	4515	c/o jeepable road at sheeti nallah	540000
5	4515	c/o path & railing on the way sissu water fall	870000

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्य 329 दिनांक 06.06.24 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत सिस्सु के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 03 दिनांक 06.06.2024 द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्यों की माप पुस्तिकों जल्द ही अंकेक्षण से जांच हेतु प्रस्तुत करवा दिया जाएगा । अत : माप पुस्तिका को अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा उपरोक्त माप पुस्तिका को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने के उपरान्त अनुपालना से अवगत करवाया जाए ।

(घ) 15 वां वित्त आयोग के मस्ट्रोल की गणना में त्रुटि होने के कारण ₹0.15 लाख का अधिक भुगतान

ग्राम पंचायत सिस्सु विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पीति (हि० प्र ०) की अवधि 01-04-22 से 31-03-24 के अंकेक्षण के दौरान मस्ट्रोल व बिलों की जांच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार मस्ट्रोल के कुल दिनों व भुगतान बिलों के जोड़ों में त्रुटि के कारण **₹14040** का अधिक भुगतान किया गया था जो कि नियमानुसार वित्तीय अनियमितता है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	मस्ट्रोल संख्या	वॉउचर संख्या	शीर्ष	कार्य का नाम	मस्ट्रोल व बिल के अनुसार भुगतान राशि	वास्तविक भुगतान योग्य राशि	अन्तर की राशि
1	13,01.08.2023	P/49,P/55 दिनांक 01.08.2023	15 th FC	निर्माण कार्य चैक डैम लमदंग	89860	103900	**14040**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या:326 दिनांक 05.06.24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सिस्सु के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 03 दिनांक 06.06.2024 द्वारा सूचित किया गया कि अधिक अदायगी की वसूली करके संबन्धित निधि खाते में जमा कर दिया जाएगा व भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं होगी। अतः परामर्श दिया जाता है कि अधिक भुगतान की गयी राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ङ) मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 47(1) अनुसार प्रत्येक संदाय को, लेखो का उचित वर्गीकरण पूरी और सही विशिष्टियाँ बताने वाले वॉउचर द्वारा समर्थित किया जाएगा तथा हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 79(2) अनुसार पंचायत सचिव संपरीक्षा के संचालन के लिए, संपरीक्षक(कों) सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा और सभी अभिलेखों विवरणीयो और लेखोंके रजिस्टर/ अभिलेख संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए तैयार रखेगा | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता को निर्माण सामग्री (रेत, बजरी,पत्थर इत्यादि) की आपूर्ति के लिए भुगतान किया गया था परंतु आपूर्तिकर्ता को भुगतान रसीद (प्रमाणक) के माध्यम से किया गया था जिसमे आपूर्ति की गई सामग्री का विवरण जैसे सामग्री कि मात्रा व सामग्री की दर को ही दर्शाया गया था, परंतु ग्राम पंचायत द्वारा इन किए गए भुगतनों से सम्बन्धित मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके कारण भुगतान की गई राशि की सत्यता की जाँच अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी , जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	वॉउचर संख्या/ दिनांक	शीर्ष/ आयोग	राशि
1.	P/48 दिनांक 04.09.2023	15^{TH} FC	4160
2.	P/57 दिनांक 04.09.2023	15^{TH} FC	52760
3.	P/63 दिनांक 04.09.2023	15^{TH} FC	26250
4.	P/69 दिनांक 04.09.2023	15^{TH} FC	47148
5.	31 दिनांक 01.10.2022	SBM	11190
6.	32 दिनांक 01.10.2022	SBM	11190
7.	32 दिनांक 01.10.2022	SBM	15460
8.	56 दिनांक 25.10.2022	VKVNY	6904
कुल योग			**175062/-**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याःदिनांक द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सिस्सु के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 03 दिनांक 06.06.2024 द्वारा सूचित किया गया कि पंचायत द्वारा उक्त बिलों के मूल बिल को अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत करवा दिया जाएगा व भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं होगी। अतः परामर्श दिया जाता है कि अधिक भुगतान की गयी राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

13 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करना

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

क्र. स.	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों के रजिस्टर का रख रखाव अधूरा तथा नियमानुसार नहीं किया गया है।	--	103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी	--	15(1)
5	वर्गीकृत सार	8	29(4)
6	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण नहीं किया गया है।	25 व 26	72(1) (ए व बी)
9	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72(1) (सी व डी)
10	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
11	रसीद बुक जारी करने का रजिस्टर	------	31
12	बिल रजिस्टर	13	48
13	सहायता अनुदान रजिस्टर, हि0प्र0 पंचायती राज सामान्य नियम 1997	8	34

अतः नियमानुसार अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव करना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

14. प्रत्यक्ष सत्यापनः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। इस बारे में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 10 में भी आपत्ति दर्शाई गयी थी परन्तु पंचायत द्वारा इस पर कोई कार्यवाई नहीं की गयी थी । परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति

स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15. लघु आपति विवरणिका:-यह अलग से जारी नहीं की गई है।

16. निष्कर्ष:-लेखों के रख-रखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

05.8.24

0 5 AUG 2024

(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2626670

का०/61

3822— 3826

पृष्ठांकन संख्याः— फिन (एल०ए०) एच (पंच) 15 (8) 12/2024 खण्ड—1 दिनांक शिमला—09

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा समिति, हि०प्र० विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पीति हि०प्र०।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पीति हि०प्र०।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत सिस्सु, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

0 5 AUG 2024

05.8.24

(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2626670

का०/61

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-23 OF GRAM PANCHAYT SISSU BLOCK LAHUL DISTRICT LAHUL SAPITI PINCODE 175140

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2022-23	1567347.19	68898.00	1636245.19	260220.50	1376024.69

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK **1567347.19**

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-24 OF GRAM PANCHAYT SISSU BLOCK LAHUL DISTRICT LAHUL SAPITI PINCODE 175140

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2023-24	1376024.69	41447.00	1417471.69	99128.00	1318343.69

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2023 IN CASH BOOK **1376024.69**

Ajay
J.A

(J.A)

प्रधान
ग्राम पंचायत सिस्सू
विकास खण्ड लाहौल
जिला लाहौल स्पिति (हि.प्र.)

Gram Panchayat Sissu
Dev Block Lahaul at Keylong (H.P.)

– 51 –

FINANCIAL POSITION OF GRANT-IN-AID OF GP SISSU BLOCK LAHUL FOR THE YEAR 2022-23

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	257146.80	286435.00	543581.80	543487.00	94.80
2	MGNREGA	0.00	1726548.00	1726548.00	1726548.00	0.00
3	A&C	50000.00	50000.00	100000.00	100000.00	0.00
4	5TH FC	123112.00	296886.00	419998.00	210950	209048.00
5	VMJS	0.00	970169.00	970169.00	970169.00	0.00
6	MPLAD	3789.00	109.00	3898.00	0.00	3898.00
7	BDO GRANT (HEAD-4515)	285000.00	2456483.00	2741483.00	2056483.00	685000.00
8	VKVNY	592900.00	1056870.00	1649770.00	1400468	249302.00
9	SDRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	ZP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	BDO GRANT (HEAD-2515)	72937.00	485936.00	558873.00	407622.00	151251.00
12	PMAGY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	SBM	0.00	1333518.00	1333518.00	1318518.00	15000.00
14	DC GRANT	0.00	37608.00	37608.00	0.00	37608.00
15	DPO GRANT	74701.00	530000.00	604701.00	217156.00	387545.00
16	15TH FC	1059509.00	1776281.00	2835790.00	187430.00	2648360.00
	TOTAL	**2519094.80**	**11006843.00**	**13525937.80**	**9138831.00**	**4387106.80**

FINANCIAL POSITION OF GRANT IN AID OF GP SISSU BLOCK LAHUL FOR THE YEAR 2023-24

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	94.80	38.00	132.80	0.00	132.80
2	MGNREGA	0.00	670990.00	670990.00	670990.00	0.00
3	A&C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	5TH FC	209048.00	281306	490354.00	370104	120250.00
5	VMJS	0.00	171206.00	171206.00	171206.00	0.00
6	MPLAD	3898.00	119	4017.00	0	4017.00
7	BDO GRANT (HEAD-4515)	685000.00	196000.00	881000.00	651678.00	229322.00
8	VKVNY	249302.00	252047	501349.00	217571	283778.00
9	SDRF	0.00	300000.00	300000.00	300000.00	0.00
10	ZP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	BDO GRANT (HEAD-2515)	151251.00	781280.00	932531.00	761537.00	170994.00
12	DTO	0.00	150000.00	150000.00	150000.00	0.00
13	SBM	15000.00	0.00	15000.00	15000.00	0.00
14	DC GRANT	37608.00	161000.00	198608.00	193357.00	5251.00
15	DPO GRANT	387545.00	0.00	387545.00	342620.00	44925.00
16	15TH FC	2648360.00	1456253.00	4104613.00	2746414.00	1358199.00
	TOTAL	**4387106.80**	**4420239.00**	**8807345.80**	**6590477.00**	**2216868.80**

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF GRANT IN AID AS ON 01-04-2023 IN CASH BOOK 4387106.80

J.A (JE) Sissu

ग्राम पंचायत सिस्सू विकास खण्ड लाहौल

BANK DETAIL OF GP SISSU BLOCK LAHUL DISTRICT KANGRA				
CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 01-04-22				
S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMOUNT
1	General/5TH FC	KCCB SISSU	20007336547	2020501.00
2	General	KCCB SISSU	20163113168	115153.00
3	VKVNY/VMJS/SDRF/ 4515	SBI KEYLONG	11390273196	557406.19
4	15TH FC	CENTRAL BANK OF INDIA KEYLONG	3780251498	1059509.00
5	14TH FC	KCCB SISSU	50065114148	257146.80
6	2515	KCCB SISSU	50066780774	72937.00
7	MPLAD	KCCB SISSU	50066780560	3789.00
CASH IN HAND				0.00
TOTAL				4086441.99

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-23				
S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMOUNT
1	General/5TH FC	KCCB SISSU	20007336547	2177177.00
2	General	KCCB SISSU	20163113168	119853.00
3	VKVNY/VMJS/SDRF/ 4515	SBI KEYLONG	11390273196	499744.09
4	15TH FC	CENTRAL BANK OF INDIA KEYLONG	3780251498	2648360.00
5	14TH FC	CENTRAL BANK OF INDIA KEYLONG	50065114148	94.80
6	2515	KCCB SISSU	50066780774	151251.00
7	MPLAD	KCCB SISSU	50066780560	3898.00
CASH IN HAND				200.00
TOTAL				5600577.89

BANK DETAIL OF GP SISSU BLOCK LAHUL DISTRICT KANGRA				
CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-24				
S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMOUNT
1	General/5TH FC	KCCB SISSU	20007336547	1341157.00
2	General	KCCB SISSU	20163113168	123499.00
3	VKVNY/VMJS/SDRF/ 4515	SBI KEYLONG	11390273196	440460.09
4	15TH FC	CENTRAL BANK OF INDIA KEYLONG	3780251498	1358199.00
5	14TH FC	CENTRAL BANK OF INDIA KEYLONG	50065114148	132.80
6	2515	KCCB SISSU	50066780774	331994.00
7	MPLAD	KCCB SISSU	50066780560	4017.00
CASH IN HAND				200.00
TOTAL				3599658.89

J.A (J.A) Sissu

परिशिष्ट-ख पैरा -7 के संदर्भ में

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-23 OF GRAM PANCHAYT SISSU BLOCK LAHUL DISTRICT LAHUL SAPITI

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2022-23	175	50	44135	8750	52885	0	52885

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-24 OF GRAM PANCHAYT SISSU BLOCK LAHUL DISTRICT LAHUL SAPITI

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2023-24	180	50	52885	9000	61885	0	61885

J.A (J.A)

प्रधान ग्राम पंचायत सिस्सू विकास खण्ड लाहौल जिला लाहौल स्पिति (हि.प्र.)

Gram Panchayat ... Dev Block Lahaul at Keylong (H.P.)

-54-

31

GP Sissu

Years	Estimated works in MGNREGA Shelf	Work done under MGNREGA Shelf	Difference between Shelf and Work Done	No. Of Job Card (HH)	No. Of HH work Demanded	No. Of HH work Provided	Mandays during the Year	HH provided 100/120 days	Mandays Regarding MGNREGA Shelf	Lack of mandays during the year
2022-23	32	13	19	135	107	107	6378	16	1100	5278
2023-24	43	5	38	135	66	66	2447	0	1100	1347

GRS
GP Sissu

Anexure (A) in the refrence of Para 11 (क)

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	वाउचर संख्या /दिनांक	मद का नाम	भुगतान राशि	मात्रा CUM	निर्धारित फैक्टर	मात्रा प्रति मीट्रिक टन	रॉयल्टी प्रति मीट्रिक टन	दर	राशि
1	हेमरज	SBM	वाउचर संख्या 31 दिनांक 01.10.2022	रेत	7310	7.31	1.62	11.84	80	947.38
2	हेमरज	SBM	वाउचर संख्या 31 दिनांक 01.10.2022	बजरी	3880	1.94	1.52	2.95	80	235.90
3	हेमरज	SBM	वाउचर संख्या 32 दिनांक 01.10.2022	रेत	7310	7.31	1.62	11.84	80	947.38
4	हेमरज	SBM	वाउचर संख्या 32 दिनांक 01.10.2022	बजरी	3880	1.94	1.52	2.95	80	235.90
5	हेमरज	SBM	वाउचर संख्या 33 दिनांक 01.10.2022	रेत	3750	2.50	1.62	4.05	80	324.00
6	हेमरज	SBM	वाउचर संख्या 33 दिनांक 01.10.2022	बजरी	2170	0.62	1.52	0.94	80	75.39
7	हेमरज	SBM	वाउचर संख्या 33 दिनांक 01.10.2022	पत्थर	9540	7.95	2.24	17.81	80	1424.64
8	दर्ज नहीं	4515	वाउचर संख्या 48 दिनांक	रेत	39710	18.05	1.62	29.24	80	2339.28
9	दर्ज नहीं	4515	वाउचर संख्या 48 दिनांक	बजरी	15715	4.49	1.52	6.82	80	545.98
10	राजू	vkvny	वाउचर संख्या 56 दिनांक 25.10.22	रेत	3560	1.75	1.62	2.84	80	226.80
11	राजू	vkvny	वाउचर संख्या 56 दिनांक 25.10.22	बजरी	3344	1.07	1.52	1.63	80	130.11
12	दावा	15वां वित्त आयोग	वाउचर संख्या p48 दिनांक 04.09.2023	रेत	4160	2.60	1.62	4.21	80	336.96
13	दावा	15वां वित्त आयोग	वाउचर संख्या पी/57 दिनांक 04.09.2023	रेत	11600	7.25	1.62	11.75	80	939.60
14	दावा	15वां वित्त आयोग	वाउचर संख्या पी/57 दिनांक 04.09.2023	बजरी	41160	13.72	1.52	20.85	80	1668.35
15	दावा	15वां वित्त आयोग	वाउचर संख्या पी/63 दिनांक 27.09.2023	रेत	5760	3.60	1.62	5.83	80	466.56
16	दावा	15वां वित्त आयोग	वाउचर संख्या पी/63 दिनांक 27.09.2023	बजरी	20490	6.83	1.52	10.38	80	830.53
17	दावा	15वां वित्त आयोग	वाउचर संख्या पी/69 दिनांक 27.09.2023	रेत	10368	6.48	1.62	10.50	80	839.81
18	दावा	15वां वित्त आयोग	वाउचर संख्या पी/69 दिनांक 27.09.2023	बजरी	36780	12.26	1.52	18.64	80	1490.82
										14005.39

Rajeev
प्रधान
ग्राम पंचायत सिस्सू
विकास खण्ड लाहौल
जिला लाहौल स्पिति (हि.प्र.)

Sissu

Annexure 'B' - 3/- in the reference of Para 12 की

क्रम संख्या	बिल संख्या/दिनांक	वाउचर संख्या	शीर्ष	आपूर्तिकर्ता	मद का नाम	भुगतान राशि
1	0627/31.08.2022	XVFC/2022-23/P/3 dated 12.10.22	15वां वित्त आयोग	सलसर टाइल्स & ग्रेनाइट मनाली रोड़ मारुति सुज़ुकी सर्विस स्टेशन पतलीकुल	सैंड स्टोन	45500
2	520/15.07.2022	FFC/2022-23/P/5 dated 16.10.22	14वां वित्त आयोग	एम/एस छेपहा सेल्स स्टोर iph कॉलोनी एनएच-03 केयलोंग	बिजली की तारें व स्क्रू	16587
3	1355/12.09.2022	वाउचर संख्या 30 दिनांक 01.10.22	vkvny	एम/एस बोहरा ट्रेडर नजदीक प्रेसिडेंट होटल मनाली	पेंट	31280
4	002/07.08.2022	वाउचर संख्या 36 दिनांक 04.10.22	एसबीएम	एम/एस सोनम & नवांग छेरींग हार्डवेर & सैनिटरि गूड्स गाँव व डाकघर अप्पर केयलोंग	टाइल्स व पाइप	21865
5	278/25.06.2022	वाउचर संख्या 40 दिनांक 04.10.22	एसबीएम	एम/एस सोनम & नवांग छेरींग हार्डवेर & सैनिटरि गूड्स गाँव व डाकघर अप्पर केयलोंग	हार्डवेर आइटम	22257
6	849/25.08.2022	वाउचर संख्या 42	एसबीएम	कोमल एंटरप्राइज़ केयलोंग	पाइप & जीआई शीट्स	52400
7	848/25.08.2022	वाउचर संख्या 41	एसबीएम	कोमल एंटरप्राइज़ केयलोंग	पाइप & जीआई शीट्स	50500
8	0639/22.07.2022	वाउचर संख्या 43	एसबीएम	वैष्णव ट्रेडिंग कंपनी गाँव व डाकघर गौशाल तांदी	टीएमटी सरिया	29450
9	135/25.09.2022	वाउचर संख्या 53 दिनांक	DPO	कोमल एंटरप्राइज़ केयलोंग	दरवाजा व चौखट	12135
10	12208/12.09.2023	वाउचर संख्या 1 दिनांक 21.09.2023	VKVNY	एम/एस नानक चंद & सन्स	सरिया व वाइर	132830
11	HIM2324431/21.09.2023	वाउचर संख्या 02 दिनांक 21.09.2023	VKVNY	एम/एस हिम इको ब्रिक	ईंट	22000

12	HIM2324430/21.09.2023	वाउचर संख्या 02 दिनांक 21.09.2023	VKVNY	एम/एस हिम इको ब्रिक	ईंट	22000
13	HIM2324432/21.09.2023	वाउचर संख्या 02 दिनांक 21.09.2023	VKVNY	एम/एस हिम इको ब्रिक	ईंट	22000
14	55/11.08.2023	वाउचर संख्या 04 दिनांक 21.09.2023	VKVNY	युनीक सोल्यूसन नया इंडस्ट्रियल एरिया मंडी	मोबाइल टॉइलेट	345000
15	1322/30.08.2023	वाउचर संख्या 27 दिनांक 05.09.2023	VKVNY	कोमल एंटरप्राइज़ केयलोंग	बर्तन	25000
16	1315/30.08.2023	वाउचर संख्या 28 दिनांक 05.09.2023	VKVNY	कोमल एंटरप्राइज़ केयलोंग	बर्तन	25000
17	1317/30.08.2023	वाउचर संख्या 29 दिनांक 05.09.2023	VKVNY	कोमल एंटरप्राइज़ केयलोंग	बर्तन	25000
						900804

प्रधान ग्राम पंचायत बिलिंग
विकास खण्ड लाहौल
जिला लाहौल स्पिति (हि.प्र.)

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Bilsu
Dev. Block Lahaul at Keylong (H.P.)